संख्या– 307/26–ब0प्र0–2012–10(27)/2007

प्रेषक,

बी0 बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण

लखनऊ, दिनांक: 01 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2012

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान सं0–83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना "विभिन्न वर्गो की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण" हेतु किये गये आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012, जो समस्त विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को पृष्ठांकित है, में दिये गये दिशा निर्देशों के कम में चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना "विभिन्न वर्गो की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण" हेतु किये गये आय व्ययक प्राविधान रू0 2.50 करोड़ के सापेक्ष रू0 2,50,00,000/–(रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के आवंटन/व्यय में वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012 में ~~निहित~~ दिशा–निर्देशों का अ~~नुपालन किया जायेगा। स्वी~~कृत की जा ~~रही उक्त~~ धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों एवं छात्रवृत्ति योजना के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन किसी नई योजना मदों में नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षो में ~~स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपयोग~~ कर लिया गया है और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(3) कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा जितनी धनराशि के तत्काल व्यय किये जाने की आवश्यकता हो। अवशेष बची धनराशि समय से शासन को समर्पित की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में नहीं जमा की जायेगी। जिन मामलों में धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व शासन की स्वीकृति/अनुमति प्राप्त किया जाना हो, उसमें शासन की अनुमति प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना के लिए उपलब्ध व्यवस्था/ नियमावली/स्थायी आदेशों के अंतर्गत ही किया जायेगा।

2– उपर्युक्त योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनागत– 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–13–विभिन्न वर्गो की छात्रवृत्ति योजनाओं का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

( बी0 बी0 सिंह )
विशेष सचिव

संख्या– 307 (1)/26–ब0प्र0–2012 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/राज्य योजना आयोग–1/2
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–1
5– निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ
6– सलाहकार, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
7– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

( धर्मराज सिंह )
अनु सचिव